न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :— 123/2022

उनवान

1. हनुमान पुत्र रूमाल,
2. मयंक ना.बा. पुत्र शंकर जरियें माता
3. कान्ता पत्नी शंकर जाति जाट नि0 नान्दला, नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. किशनगोपाल पुत्र नाथूलाल,
2. रामवल्लभू पुत्र नाथूलाल,
3. सत्यनारायण पुत्र नाथूलाल जाति महाजन नि0 नान्दला, नसीराबाद,
4. उप पंजीयक, नसीराबाद
5. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 3 अनुपस्थित
4 व 5 जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 12/04/24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडा की निम्न आराजी वादी की कयशुदा खातेदारी/काश्तकारी की है :—

चौसाला ख0न0	रकबा	वंर्किग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
933	2—6—0	1215	3—17—0	1655	0.26
937	1—11—0			1656	0.18
				1657	0.18

उक्त आराजी के चौसला खसरा नम्बर 933 व 937 वादीगण के पूर्वज रूमाल के द्वारा दिनांक 28.07.1976 को जरियें विकय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से कय की है। केता की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि का बैचान वादी के पूर्वज को कर कब्जा व दखल सौप दिया था। आराजी [illegible] को विकय पत्र की पालना में वादीगण/पूर्वज के नाम करने के [illegible] प्रतिवादीगण के नाम अंकित कर दी जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी [illegible] कर रहे है व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:18:24 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, विकय पत्र व शजरा पेश किये व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। राज0 पैरोकार ने भी प्रकरण में साक्ष्य पेश नही की।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 सत्यनारायण पुत्र नाथूलाल ने जरियें विकय पत्र चौसाला खसरा नम्बर 933 रकबा 2-6-0 व 937 रकबा 1-11-0 की आराजी वादीगण के पूर्वज रूमाल पुत्र हजारी को बैचान कर कब्जा व दखल सौप दिया था। चौसाला खसरा नम्बर 933 व 937 के वंर्किग खसरा नम्बर 1215 रकबा 3-17-0 वंर्किग जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की खातेदारी में है। तथा हाल राजस्व अभिलेख में हाल खसरा नम्बर 1655/0.26, 1656/0.18 व 1657/0.18 की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज है। चौसाला जमाबंदी में आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता व अन्य व्यक्तियों नाम खातेदारी है। केता रूमाल पुत्र हजारी की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण ही है वादी द्वारा इसके समर्थन में शजरा भी पेश किया है। वादीगण्ण के पूर्वज रूमाल ने विकय पत्र के आधार पर सम्पूर्ण आराजी की खातेदारी उद्घोषणा चाही है किन्तु विकय्र पत्र अनुसार वादीगण के पूर्वज को प्रतिवादी संख्या 3 सत्यनारायण पुत्र नाथूलाल द्वारा ही विकय किया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आराजी मुतनाजा का विकय वादीगण/पूर्वज को नही किया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज0 पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र पंजीकृत है। जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। किन्तु प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा ही भूमि का बैचान किया जाना सिद्व होने से वादीगण प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से तक आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्ति के आधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 1655 रकबा 0.26, 1656 रकबा 0.18 व 1657 रकबा 0.18 की आराजी पर वादीगण का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 3 सत्यनारायण पुत्र नाथूलाल के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:18:24 IST
Reason: SelfAttested

डिकी व मुकदमें इब्लाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

हनुमान बनाम किशनगोपाल

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 123/2022
पेश करने की दिनांक – 23.08.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 1655 रकबा 0.26, 1656 रकबा 0.18 व 1657 रकबा 0.18 की आराजी पर वादीगण का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 3 सत्यनारायण पुत्र नाथूलाल के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 12 माह 04 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:18:24 IST
Reason: SelfAttested